राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या–81/2022
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2022/138
3. दायर दिनांक– 31.10.2022
4. निर्णय दिनांक– 28.06.2023

1. जुगराज कोठारी पुत्र स्व0 श्री चेनरूप कोठारी जाति महाजन आयु लगभग 61 वर्ष निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू राजस्थान हाल निवासी सी–802, नवमंगलम कॉम्पलेक्स, अग्रसेन भवन के पास, सिटीलाईट, सूरत सिटी, गुजरात जरिये अधिकृत अमिकर्ता– सचिन कोठारी पुत्र श्री जुगराज कोठारी जाति महाजन आयु लगभग 31 वर्ष निवासी सी–802, नवमंगलम कॉम्पलेक्स, अग्रसेन भवन के पास, सिटीलाईट, सूरत सिटी, गुजरात

....वादी

बनाम

1. पन्ना लाल पुत्र स्व0 नारायण जाति खाती, आयु बालिग
2. बाली देवी पुत्री स्व0 श्री नारायण जाति खाती, आयु बालिग
3. भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री नारायण जाति खाती, आयु बालिग
4. भंवरी देवी पुत्री स्व0 श्री नारायण जाति खाती, आयु बालिग
5. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री नारायण जाति खाती, आयु बालिग
   सर्व निवासीगण ग्राम सिनोदिया तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
7. उपपंजीयक रूपनगढ़

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपस्थिति–: 1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये विकय पत्र के द्वारा ग्राम सिनोदिया(नवीन घोषित ग्राम शिवनगर) पटवार हल्का सिनोदिया तहसील रूपनगढ़ के खसरा नं0 30/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा व ख0न0 30/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा हिस्सा सम्पूर्ण को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज पाती/ [illegible] पुत्र रतना जाति खाती से पूर्ण प्रतिफल राशि 40000/– अक्षरे चा[illegible] हजार रु[illegible] अदा करके दिनांक 13.05.1991 को खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested

28.6.22

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय, किशनगढ़ में दिनांक 13.05.1991 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 210 क्रम संख्या 657 पृष्ठ संख्या 323 से 324 तक पंजीयन किया गया तथा अतिरिक्त फाइल बुक की जिल्द संख्या 204 क्रम संख्या 657 के पृष्ठ संख्या 104 से 109 तक चस्पा किया गया। वादी का खरीद दिनांक से आज तक निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार ग्राम शिवनगर पटवार हल्का सिनोदिया के ख0न0 30 रकबा 1.6180 है0 भूमि स्थित है। वादी के नाम उक्त भूमि का नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नहीं हो पाया है। वादी दिनांक 24.10.2022 को अपने मूल निवास स्थान शिवनगर अपनी खरीदशुदा भूमि की देखभाल करने आया तथा जमाबन्दी की ऑनलाईन नकल निकाली तब वादी को जानकारी हुई कि वादी की पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा खरीदशुदा भूमि वर्तमान रिकार्ड में खातेदार नारायण पुत्र रतना की विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हो गयी है। वाद वर्णित भूमि को बैचान की गयी, को हड़प करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी सम्पूर्ण आराजी में अपना विधि विरूद्ध व गलत विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया है। इसलिए न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यक हुआ है। वादी की ओर से निवेदन है कि वादी की जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा वाद वर्णित खरीदशुदा भूमि का खातेदारी की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 फरमाई जावे व वादी के द्वारा खरीदशुदा वादवर्णित भूमि के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बाधाकारित नहीं करे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी। वादी की ओर से शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया, जिस पर वादी के बयान लिये गये। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी ने उक्त कृषि आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की है। विक्रेता श्री नारायण के वारिसान ने तथ्य को छुपाते हुए गलत तरीके से नामान्तरकरण अपने पक्ष में दर्ज करवा लिये है, जो विधि विरुद्ध है। इसलिए वादी को वाद वर्णित भूमि का हिस्सा सम्पूर्ण खातेदार घोषित कर डिक्री प्रदान करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर प्रकरण में जवाब पेश किया। तहसीलदार रूपनगढ़ ने प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested

20.6.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

किसी प्रकार का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवनगर के ख0न0 30 रकबा 1.6180 है0 भूमि में वादी को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

28.6.23

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested